अध्याय VI: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

6.1 गन्नी मूल्यह्रास पर अधिक भुगतान

एफसीआई ने कस्टम मिल्ड चावल की खरीद पर केएमएस[1] 2010-11 से 2012-13 के दौरान राज्य सरकार और अपनी एजेंसियों को गन्नी मूल्यह्रास पर ₹ 11.53 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

भारत सरकार (जीओआई) केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकार की एजेसियों (एसजीएज़) द्वारा सुपुर्द किए गए कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के लिए उनको भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दर तय करता है। दरों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय पूल को सुपर्द की गई अन्य दो बोरियाँ प्रति क्विंटल चावल के लिए गन्नी मूल्यह्रास और दो बोरियों[2] के लिए बोरी लागत के अवयव निहित हैं। दो नई बोरियों की लागत के 40 प्रतिशत दर पर गन्नी डेप्रसिएशन अनुमत करने का मूल कारण 50 किग्रा के चार बोरियों के लिए था। प्रत्येक को 100 किग्रा चावल बनाने के लिए (आउट टर्न अनुपात 67 प्रतिशत[3]) 150 किग्रा धान भरने के लिए खरीदा जाना था जैसाकि भारत सरकार ने निर्णय लिया था। इस प्रकार एक सीएमआर के साथ एफसीआई को दो बोरिया भेजनी चाहिए थी और राज्य सरकार/ एजेंसियों /मिल मालिकों के पास पड़ी दो बोरियों पर मूल्यह्रास अनुमत करना चाहिए था जिसे सीएमआर की पैकिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने केएमएस 2010-11 से 2012-2013 के लिए अपनी धान खरीद नीति में निर्देश दिया कि 40 किग्रा. धान को 50 कि.ग्रा. क्षमता वाले गन्नी बैग्स में भरा जाना था। इस प्रकार जब

---

[1] *खरीफ मार्केटिंग सीज़न*

[2] *प्रत्येक बोरी में 50 किग्रा. चावल पैक किया जाना था।*

[3] *धान से निकले चावल का अनुपात*

40 किग्रा. धान वास्तव में 50 किग्रा. क्षमता वाले गन्नी बैग्स में भरा जाने लगा तब 67 प्रतिशत के आउट टर्न अनुपात को ध्यान में रखते हुए एक क्विंटल चावल के बाराबर धान भरने के लिए केवल 3.75 गन्नी बैग्स की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक क्विंटल चावल भरने और इसे एफसीआई को भेजने के लिए प्रयुक्त दो बोरियों की गन्नी लागत का एसजीए को भुगतान किया जाएगा। हालांकि एसजीए के पास पड़े बाकी प्रयुक्त गन्नी बैग्स के लिए 40 प्रतिशत की दर पर गन्नी मूल्यह्रास केवल 1.75 बैग्स हेतु देय होगा, जिसके द्वारा 0.25 गन्नी बैग्स प्रति क्विंटल चावल के लिए गन्नी मूल्यह्रास की बचत होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के आधार पर केएमएस 2010-11 से 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय पूल के लिए एसजीएज़ द्वारा कुल 335.28 लाख कुंतल चावल सुपुर्द किया गया था। इस प्रकार 2010-11 से 2012-13 के दौरान सीएमआर की खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार और इसकी एजेंसियों को अधिक गन्नी मूल्यह्रास के लिए एफसीआई द्वारा ₹ 11.53 करोड़ राशि का भुगतान किया गया।

एफसीआई ने बताया (अक्टूबर 2012) कि भारत सरकार की लागत शीट के अनुसार भुगतान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गन्नीज़ पर मूल्यह्रास का भुगतान राज्य सरकार/एजेंसियों के पास पड़ी गन्नियों की संख्या जानने के पश्चात वास्तविक आधार पर अनुमत किया जाना चाहिए और न कि निर्धारित दर पर। भारत सरकार की नोडल एजेंसी होते हुए एफसीआई को उपरोक्त मामला बाद में देना चाहिए था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के आधार पर गन्नी बैग्स पर लागत/मूल्यह्रास की अधिक राशि अनुमत करने के कारण 2010-11 से 2012-13 के दौरान सीएमआर की खरीद पर राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों को ₹ 11.53 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मामले को अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को बताया गया , उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।